समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 25 August 2026

Barbeque Nation सहित कई रेस्टोरेंट्स को सेवा शुल्क रोकने का निर्देश

Publisher | Published on 11 Feb 2026

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने स्पष्ट किया है कि **रेस्टोरेंट्स बिल मे अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज (service charge)** जोड़ नहीं सकते — यह **उपभोक्ता संरक्षण कानून** के तहत *⍰⍰⍰⍰ ⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰⍰* माना जाता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले **कई आउटलेट्स पर कार्रवाई जारी** है, जिसमें प्रमुख चेन **Barbeque Nation** को भी **इस शुल्क को तत्काल बंद करने** का आदेश दिया गया है।

⍰ क्या हुआ आदेश मे ?

CCPA ने कहा है कि अगर कोई रेस्टोरेंट बिल में अपने आप **सेवा शुल्क जोड़ रहा है बिना ग्राहक की सहमति के**, तो वह **उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन** कर रहा है। ऐसे शुल्क को **अन्य किसी नाम से भी नहीं लगाया जा सकता** और ग्राहक को इसे **भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए**। यदि यह बिल में जुड़ा है तो उस पर **GST भी नहीं लगाया जा सकता**।

⍰ CCPA की कार्रवाई :

CCPA ने देश भर में **27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई** की है, जिनमें कई जगहों पर पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से 10% सेवा शुल्क जोड़ा जा रहा था। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ जगहों पर उस चार्ज पर **GST भी लगाया जा रहा था**, जो नियमों के खिलाफ है। इन रेस्टोरेंट्स को **बिल से चार्ज हटाने**, **रिफंड करने** और **बिलिंग सिस्टम बदलने** का निर्देश दिया गया है।

⍰ Barbeque Nation को विशेष निर्देश :

एक ग्राहक की शिकायत के बाद CCPA ने **Barbeque Nation** को यह चेतावनी दी कि वह सेवा शुल्क वसूलना **तुरंत बंद करे**। इस मामले में शिकायतकर्ता को पहले **₹335 रिफंड** किया गया था और अब प्राधिकरण ने पूरे नेटवर्क में **अनिवार्य चार्ज हटाने** का आदेश दिया है।

⍰ उपभोक्ता के अधिकार :

CCPA के तहत ग्राहक का अधिकार है कि वह:

- **बिना सहमति जोड़ा गया सेवा शुल्क हटाने को कह सकता है।**
- **सेवा शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर सकता है।**
- **अगर यह जारी रहा तो National Consumer Helpline पर शिकायत दर्ज कर सकता है।**
- **जोड़े गए शुल्क का रिफ़ंड भी मांग सकता है।**

□ न्यायालय का रुख :

दिल्ली उच्च न्यायालय ने **28 मार्च 2025** को स्पष्ट किया था कि यह शुल्क ***□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□*** लिया जाना चाहिए और इसे **बाध्यकारी नहीं** बनाया जा सकता — ऐसा करना **उपभोक्ता हितों के विपरीत** है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.